सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-364/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 13 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-रानी की सराय

बलात्कार के मुकदमे में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को थाना क्षेत्र रानी की सराय जनपद आजमगढ़ निवासिनी एक महिला ने थाना रानी की सराय पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 07/09/2020 समय लगभग सुवह 9 बजे आरिफ पुत्र शाहबूदीन ग्राम जिविली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 126/20 धारा 363/366 भादवि बनाम आरिफ पुत्र शहाबुद्दीन निवासी ग्राम जीवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया । पीड़िता की बरामदगी के पश्चात मुकदमा उपरोक्त मे 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर/नगर के निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2020 को थाना प्रभारी उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराही फोर्स द्वारा मुखबीर की सुचना पर मु0अ0स0 126/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र मो0 जावेद उर्फ शहाबुद्दीन निवासी ग्राम जीवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को चेकपोस्ट रानी की सराय से समय 10.26 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 126/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 आरिफ पुत्र मो0 जावेद उर्फ शहाबुद्दीन निवासी ग्राम जीवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना रानी का सराय मय हमराही फोर्स।

थाना दीदारगंज

छेडखानी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05/9/20 को थाना थाना क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ निवासिनी द्वारा थाना दीदारगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 02/09/2020 को अभियुक्त अनमोल राजभर पुत्र मो ती लाल राजभर निवासी ग्राम महुवारा खुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ मेरे साथ छेडखानी किया मना करने पर गाली दिया तथा मारा-पीटा। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/20 धारा 354,323,504 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2020 को उ0नि0 जावेध अख्तर मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं-145/20 धारा 354,323,504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अनमोल राजभर पुत्र मोती लाल राजभर निवासी ग्राम महुवारा खुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ को गोमती ग्रामीण बैक ग्राम पुष्पनगर से समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 145/20 धारा 354,323,504 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अनमोल राजभर पुत्र मोती लाल राजभर निवासी ग्राम महुवारा खुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 जावेद अख्तर थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ।